

No. EDN-B-Ga(17)-6/2016-VI  
Government of Himachal Pradesh  
Department of Higher Education

From

The Principal Secretary (Edu) to the  
Government of Himachal Pradesh

To

✓ The Director, Higher Education,  
Himachal Pradesh, Shimla-171001

Dated: Shimla-171002

२०-५-२०१७


Subject:-

हिन्दी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिन्दी में ना देकर अंग्रेजी में दिए जाने  
बारे।

Sir,


I am directed to enclose herewith a copy of letter No. भासनि:-०८/९८-रा०भा०-III&2619-2764 dated 07<sup>th</sup> April, 2017 received from Director, Language & Culture Department to the Government of Himachal Pradesh, on the subject cited above and to request you to kindly take further necessary action in the matter under intimation to this department.

Yours faithfully,




Joint Secretary (Edu) to the  
Government of Himachal Pradesh

Directorate of Hr. Education  
Himachal Pradesh



Endst. No. EDN-H(1)B(15)1/2009- Imp. Instt. Dated Shimla - 171001 the  
Copy for information and further necessary action is forwarded to :-

1. The Addl. Chief Secretary (Education) to the Govt. of H.P. w.r.t. his letter No. EDN-B-Ga(17)-6/2016-IV Dated 20<sup>th</sup> April 2017
2. The Addl. Director of Hr. Education, (School), H.P.
3. The Joint Director of Hr. Education ( Adm.), H.P.
4. The Joint Director of Hr. Education, C-I/ C-II, H.P.
5. The Joint Controller (F&A), Dte. of Hr. Education, H.P.
6. The OSD(C)/ OSD(Skt.) Directorate of Hr. Education, H.P.
7. All Deputy Directors / Assistant Directors, Dte. of Hr. Education, H.P.
8. All the Principals of Govt. Degree Colleges / Skt. Colleges in the H.P.
9. All the Deputy Directors of Hr. Education, H.P. with the remarks that to take further necessary action in the matter accordingly.
10. The Group Commander, GP HQ, Shimla -4.
11. The Chief Librarian, Center State Library Solan.
12. All the District libraries in the H.P.
13. All the NCC units in the Pradesh.
14. All the Principals in the Govt. Sr. Secondary Schools in H.P.
15. All the Headmaster in the Govt. High Schools in HP.
16. The PS to the Director of Higher Education, H.P.
17. All the Branch Officer / Superintendent, Establishment Branches, Directorate of Higher Education Himachal Pradesh with the remarks that to take further necessary action in the matter accordingly.
18. The Incharge Computer Cell, Dte. of Hr. Education, H.P with the remarks to upload the said orders on the deptt. Website
19. Guard File.

  
Joint Director of Hr. Education(Admn.)  
Himachal Pradesh

01/7/17

भाषा एवं संस्कृति विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9  
संख्या: भासनि:-08/98-रा०भा०- III -

28/01-2764

125

दिनांक: 16/3/17

सेवा में

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

21-3-17  
52915368

विषय :-  
महोदय,

हिन्दी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिन्दी में न देकर अंग्रेजी में दिए जाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विभाग में श्री रामेश्वर दयाल गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद् (मुम्बई) का पत्र जो कि मूल रूप से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार तथा सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित है, सचिव (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ है जिसमें हिन्दी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिन्दी में न देकर अंग्रेजी में दिए जाने बारे लिखा गया है। जैसा कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1975 के अनुपालन में 26 जनवरी, 1978 से प्रदेश में समस्त प्रशासनिक कार्य हिन्दी में किए जाने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश सरकार कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाकर इसे आम आदमी के लिए व्यावहारिक बनाया जाए। किन्तु प्रायः देखने में आया है कि कुछ कार्यालयों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है और राजभाषा नीति के विरुद्ध हिन्दी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि राजभाषा का सम्मान करते हुए भविष्य में अपने कार्यालय से संबंधित विज्ञापन हिन्दी समाचार पत्रों में हिन्दी में ही देने की कृपा करें।

21/3/17  
JS(E)  
JS(ME)

भवदीया,  
शशि ठाकुर (हि.प्र.से.)  
निदेशक

21/3/17  
S.O(B)

दूरभाष: 0177-2626616 फेक्स: 0177-2628789 ईमेल : dirlculture@gmail.com  
पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि- दिनांक:  
प्रतिलिपि-

1. प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को पत्र संख्या: एल. सी. डी.-बी. (15)-1/2017 दिनांक 27 जनवरी, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश-2 को पत्र संख्या: 43-44/95-जी.एस दिनांक 12 जनवरी, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. श्री रामेश्वर दयाल गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद् (मुम्बई) 1130 संदर बाजार (डाकघर के पास) करनाल-132 001 (हरियाणा)।


SK Ans  
21-3-17  
ITC

शशि ठाकुर (हि.प्र.से.)  
निदेशक

भाषा एवं संस्कृति विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

संख्या: भासनि:-08/98-रा०भा०- III -26/9-



सेवा में

निदेशक  
उच्च शिक्षा, लालपानी  
शिमला (हि.प्र.)

विषय :-

महोदय,

हिन्दी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिन्दी में न देकर अंग्रेजी में दिए जाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विभाग में श्री रामेश्वर दयाल गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद् (मुम्बई) का पत्र जो कि मूल रूप से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार तथा सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित है, सचिव (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ है जिसमें हिन्दी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिन्दी में न देकर अंग्रेजी में दिए जाने बारे लिखा गया है। जैसा कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1975 के अनुपालन में 26 जनवरी, 1978 से प्रदेश में समस्त प्रशासनिक कार्य हिन्दी में किए जाने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश सरकार कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाकर इसे आम आदमी के लिए व्यावहारिक बनाया जाए। किन्तु प्रायः देखने में आया है कि कुछ कार्यालयों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है और राजभाषा नीति के विरुद्ध हिन्दी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि राजभाषा का सम्मान करते हुए भविष्य में अपने कार्यालय से संबंधित विज्ञापन हिन्दी समाचार पत्रों में हिन्दी में ही देने की कृपा करें।

भवदीया,

शशि ठाकुर (हि.प्र.से.)  
निदेशक

दूरभाष: 0177-2626616 फेक्स: 0177-2628789 ईमेल : diriculture@gmail.com

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि-

दिनांक:

प्रतिलिपि-

1. प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को पत्र संख्या: एल. सी. डी.-बी. (15)-1/2017 दिनांक 27 जनवरी, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश-2 को पत्र संख्या: 43-44/95-जी.एस दिनांक 12 जनवरी, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. श्री रामेश्वर दयाल गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद् (मुम्बई) 1130 सदर बाजार (डाकघर के पास) करनाल-132 001 (हरियाणा)।

शशि ठाकुर (हि.प्र.से.)  
निदेशक

श. केशव  
24/1/17